



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937

No. 87]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2015

सं. 32-प्रेज/2015.—भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में, यह निर्देश देते हैं कि भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 72-प्रेस/2014, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के तहत कुलाध्यक्ष पुरस्कारों के विनयमन संबंधी दिशा-निर्देशों में निम्नवत् संशोधन किया जाएगा :-

‘विवरण’ शीर्ष के अंतर्गत तालिका के पैरा 1 के क्रमांक 2 के तहत निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“पांच लाख रुपये की कुल राशि की सीमा के साथ प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रशस्ति पत्र और एक लाख रुपये नकद पुरस्कार, परंतु यदि किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या पांच सदस्यों से अधिक हो जाती है तो उसे समूह के सदस्यों के बीच बराबर बांटा जाएगा”

‘विवरण’ शीर्ष के अंतर्गत तालिका के पैरा 1 के क्रमांक 3 के तहत निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“पांच लाख रुपये की कुल राशि की सीमा के साथ प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रशस्ति पत्र और एक लाख रुपये नकद पुरस्कार, परंतु यदि किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या पांच सदस्यों से अधिक हो जाती है तो उसे समूह के सदस्यों के बीच बराबर बांटा जाएगा”

सुरेश यादव, राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2015

No. 32-Pres/2015.—The President of India, in his capacity as Visitor of the Central Universities, is pleased to direct that the following amendment shall be made in the guidelines governing the Visitor's Awards published in Part I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) of the 24th October, 2014, under Notification No. 72-Pres/2014 dated 22nd October, 2014:—

In para 1 under Sl. No. 2 of the table under the head “Details”, the following shall be substituted:-

“Citation and Cash reward of Rupees One Lakh to each individual subject to the limitation of total amount of Rupees Five Lakh if the number of individuals in a group exceeds five member, which will be then equally distributed amongst the members of the group”

In para 1 under Sl. No. 3 of the table under the head “Details”, the following shall be substituted:-

“Citation and Cash reward of Rupees One Lakh to each individual subject to the limitation of total amount of Rupees Five Lakh if the number of individuals in a group exceeds five member, which will be then equally distributed amongst the members of the group”

SURESH YADAV, OSD to the President